

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

नियम 26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, राजस्थान

बनाम

महेन्द्र

मन्दकिशोर

कस्म मुकदमा/धारा:-

111-128

करण संख्या 67 / 2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर:-

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील में  
जारी हुए

प्रार्थना-पत्र नियमानुसार संलग्न दस्तावेजों

एवं न्यायालय शुल्क के साथ न्यायालय क्षेत्राधिकार में पेश हुआ। पत्रावली की नियमानुसार जांच कर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना-पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 13/4/2026 को वास्ते इन्तजार तामील/तलबी रिपोर्ट पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

13/4/2026

पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली नम्बर से कम डेटर दाखिल दफ्तर हो।



  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 67/2026

तारीख दायर - 6/4/2026

1. महेन्द्र पिता मांगीलाल जी उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
2. जगदीश पिता मांगीलाल जी उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पिता कालु उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
2. कालु पिता मांगीलाल उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा०ले०रे० एकट

:—आदेश:—

दिनांक :- 13/4/2026

प्रार्थनापत्र प्रार्थी महेन्द्र ने जरिये अभिभाषक श्री सुनिल कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि मौजा ग्राम मंडोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 76 पर स्थित आराजी संख्या 442/210 कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि,, स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एकट स्वीकार किया ग्राम मंडोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियाँ स्थित खाता संख्या 76 पर स्थित आराजी संख्या 442/210 कुल किता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि,, की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/-रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 67/2026

तारीख दायर - 6/4/2026  
तारीख फ़ैसल - 13/4/26

प्रेषित :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 67/2026 .....

प्रत्थरगढी बाबत् ।

1. महेन्द्र पिता मांगीलाल जी उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0
2. जगदीश पिता मांगीलाल जी उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थीगण

## बनाम

1. नन्दकिशोर पिता कालु उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0
2. कालु पिता मांगीलाल उम्र वयस्क जाति भील निवासी मंडोलबांध तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम मंडोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ कलां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 76 पर स्थित आराजी संख्या 442/210 कुल कित्ता 1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ